FORM-D

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, (एन.आई.ए.) अम्बिकापुर, **जिला–सरगुजा, (छ.ग.)** **(पीठासीन अधिकारी–के.एल.चरयाणी)**

(निर्णय दिनांक–25/06/2025) (विशेष आप. प्रकरण–27/2024) (थाना अंबिकापुर का अपराध क्रमांक–327/2024)	
अभियोजन–	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा–आरक्षी केन्द्र–अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री गौरांगो सिंह, लोक अभियोजक
अभियुक्त–	कपिल गिरी पिता झंकर गिरी, उम्र लगभग–46 वर्ष, निवासी ग्राम–तुरीयाबीरा, थाना–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.)
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री पवन पाण्डेय, अधिवक्ता ।

FORM–E

अपराध दिनांक–	14–05–2024
प्रथम सूचना पत्र दिनांक–	14–05–2024
अभियोगपत्र प्रस्तुति दिनांक–	14–06–2024
आरोप विरचित दिनांक–	24–12–2024
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक–	28–12–2024
निर्णय हेतु नियत दिनांक–	25–06–2025
निर्णय दिनांक–	25–06–2025
दंडादेश दिनांक, यदि हो तो	25–06–2025

Accused Details

अभि. क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहाई दिनांक	धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा अवधि	धारा– 428 दं.प्र. सं. के अंतर्गत समायोजित अवधि
1.	कपिल गिरी	14.05.24	**निरंक**	**भा.दं.सं. की धारा–489 ख 489 ग**	**दोषसिध्दि**	**दोषसिद्ध को 05–05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000–10,000/– रुपये के अर्थदंड से दंडित किया**	406 दिन

K L CHARYANI

Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:19:03 +0530

क्रमशः......02

विशेष.आप.प्र. क्रमांक–27/2024

FORM–F
INDEX

क्रमांक	विवरण	पेज नम्बर
1.	निर्णय का शीर्षक–	01
2.	अधिवक्तागण की उपस्थिति–	01
3.	आरोप–	03
4.	स्वीकृत तथ्य–	–
5.	अभियोजन कथानक–	04 –06
6.	––	–
7.	––	–
8.	कारण एवं निष्कर्ष–	08–18
9.	सजा–	18
10.	सजा में मुजरा की गई अवधि–	18
11.	संपत्ति का निराकरण–	19
12.	प्रतिकर का आदेश–	–
13.	धारा–428 दं0 प्र 0 संहिता का प्रमाणपत्र–	20
14	कैद की सजा होने पर जेल भेजने का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)–	18
15	निर्णय की प्रतिलिपि–	19

स्थान–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा
दिनांक–25/06/2025

(के.एल.चरयाणी)
शेष न्यायाधीश
षण अभिकरण अधिनियम)
सरगुजा (छ.ग.)

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:19:18 +0530

क्रमशः.......03

CGSU010023292024

Presented on : 01-10-2024
Registered on : 01-10-2024
Decided on : 25-06-2025
Duration : 8 months 24 days

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, (एन.आई.ए.) (अम्बिकापुर), जिला– सरगुजा,(छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी–के.एल.चरयाणी)

वि.आप. प्रकरण क्र.–27/2024
संस्थित तिथि– 01/10/2024

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा थाना प्रभारी अंबिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.) ....**अभियोजक**

प्रति

कपिल गिरी पिता झंकर गिरी, उम्र
लगभग–46 वर्ष, निवासी ग्राम–तुरीयाबीरा,
थाना–लुण्ड्रा, अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) ....**अभियुक्त**

राज्य की ओर से श्री गौरांगो सिंह, लोक अभियोजक ।
अभियुक्त कपिल गिरी की ओर से श्री पवन पाण्डेय, अधिवक्ता ।

निर्णय
(दिनांक 25/06/2025 को परिदत्त)

अभियुक्त कपिल गिरी आ. झंकर गिरी का विचारण **भा.दं.सं. की धारा– 489 ख एवं 489 ग** के अपराध के इस आरोप के लिए किया गया है कि उसने दिनांक 14/05/2024 को प्रधान डाक घर, अंबिकापुर में अपने आधिपत्य में पाँच–पाँच सौ रुपये कीमत के कुल 58 नोट (मूल्य 29,000) को यह जानते हुए कि वे नोट कूटरचित हैं, उन्हें असली बैंक नोट के रुप में लाते हुए अन्य राशि के साथ जमा किया व उक्त 58 नोटों को यह जानते हुए कि वे कूटरचित या कूटकृत हैं, इस आशय से अपने आधिपत्य में रखा कि उन नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाया जा सके।

K L CHARYANI

Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:19:29 +0530

2. अभियोजन के मामले के अनुसार प्रार्थी मनोज कुमार पाण्डेय ने थाना–अंबिकापुर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन **प्रदर्श पी.–1** प्रस्तुत कर सूचना दर्ज कराया कि वह ग्राम–परसकोल, थाना–कोसीर, जिला–सारंगढ़ का रहने वाला है तथा प्रधान डाकघर अंबिकापुर में नायब पोस्टमास्टर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 14/05/2024 को प्रधान डाक घर अंबिकापुर में अभियुक्त कपिल गिरी जिसका बचत खाता क्र.–1695093315 है, में पैसा जमा करने हेतु जमा पर्ची भरकर रकम करीब 1,00,000/–रुपये जमा कर रहा था तभी काऊंटर ड्यूटी में पदस्थ एस.बी.काऊंटर पी.ए.नीलमणी केरकेट्टा के द्वारा अभियुक्त कपिल गिरी द्वारा जमा की गई रकम जिसमें 500/–रुपये के 58 नोट कीमत 29,000/–रुपये थे, जाली पाये गये। उक्त नोट को देखने से वे नोट जाली प्रतीत हो रहे थे एवं उक्त नोटों को काउंटिंग मशीन द्वारा भी डालने पर पृथक कर दिया जा रहा था। प्रार्थी मनोज कुमार पाण्डेय के द्वारा लिखित आवेदन **प्र.पी.–1** के आधार पर थाना अंबिकापुर में अभियुक्त कपिल गिरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक–327/2024 धारा–489–ए भा.दं.सं. **प्र.पी.–2** पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई ।

3. विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर मौका नक्शा **प्रदर्श पी.–3** तैयार किया गया । आरोपी द्वारा पेश करने पर नगदी रकम 1,02,000/– (98 नग 500/– रूपये के नोट तथा 265 नग 200/– रूपये के नोट), 500/– रूपये का नकली नोट जिसका सीरियल नंबर 2MA 763866 (13 नग), सीरियल नंबर 4BF 515006 (16 नग), 1QB 060582 (12 नग) एवं सीरियल नंबर 1AA 358945 (17 नग) कुल 58 नग तथा एक नग मोबाइल टेक्नो स्पार्क जिसका आई.एम.आई. नंबर 359680169371602 जिसमें 8817401885 सिम लगा था, मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 15/डी.जेड. 0622 काले रंग की होण्डा साइन, आरोपी कपिल गिरी के नाम की पास बुक जिसका खाता नंबर 1695093315 है, एक नग जमा पर्ची जिसमें दिनांक 14.05.2 1695093315 है

Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:19:44 +0530
K L CHARYANI

जिसमें एक–एक लाख रूपये लेख किया गया है, को भी जप्ती पत्रक **प्र.पी.–4** के अनुसार जप्त किया गया। आरोपी का मेमोरेण्डम बयान **प्रदर्श पी.–5** के अनुसार लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त कपिल गिरी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी.6** तैयार किया गया तथा उसके परिजनों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना **प्रदर्श पी.–7** के अनुसार दी गई। जप्तशुदा नोटों के परीक्षण हेतु महाप्रबंधक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (म.प्र.) को पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के माध्यम से आवेदन **प्र.पी.–10** भेजा गया। विवेचना के शेष चरण पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुख्य न्या.मजि. अंबिकापुर, जिला–सरगुजा के न्यायालय में भा.दं.सं. की **धारा– 489–ख व 489–ग** के तहत प्रस्तुत किया गया । जाली नोट के परीक्षण उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन **प्रदर्श पी.–11** के अनुसार अभिलेख में संलग्न किया गया है।

4. मुख्य न्या.मजि. अंबिकापुर, जिला–सरगुजा ने प्रकरण को **आप.प्र.क्र–1910/2024** के रुप में पंजीबद्ध किया तथा प्रकरण अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा को उपार्पण आदेश दिनांक **28/06/2024** के अनुसार उपार्पित किया।

प्रकरण में आरोपित अपराध का विचारण राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा होने के कारण पूर्व में यह प्रकरण बिलासपुर स्थित एन.आई.ए. न्यायालय को प्रेषित किया गया था । बाद में राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक–24/09/2024 व माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन दिनांक 26/09/2024 के अनुसार इस न्यायालय को एन.आई.ए. न्यायालय के रुप में अधिसूचित किये जाने के कारण प्रकरण बिलासपुर न्यायालय से अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा विशेष आपराधिक प्रकरण (एन.आई.ए.) के रुप में प्रकरण का पंजीयन कर विचारण प्रारंभ किया गया ।

5. इस प्रकरण में दिनांक–**24/12/2024** को मेरे द्वारा अभियुक्त कपिल गिरी के विरुद्ध **भा.दं.सं. की 489 ख व 489 ग** के अपराध के आरोप विरचित वि [illegible] के

अभिकथनों से इंकार करते हुए अपने परीक्षण के दौरान स्वयं को निर्दोष बताया तथा अपने बचाव में किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया है।

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में **प्रधान पोस्ट मास्टर मनोज कुमार पाण्डेय (अ.सा.1), हृदय कुमार ठाकुर (अ.सा.2), श्रीमती नीलमणी केरकेट्टा (अ.सा.3), सहायक उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार दुबे (अ.सा.4)** इस तरह **कुल–4 साक्षियों** का परीक्षण कराया गया है ।

7. इस प्रकरण में निराकरण हेतु निम्न बिंदु विचारणीय हैं–

(1) **''क्या अभियुक्त ने दिनांक– 14/05/2024 को करीब 12.00 बजे प्रधान डाक घर, अंबिकापुर अंतर्गत थाना–अंबिकापुर में अपने आधिपत्य में पाँच–पाँच सौ रुपये कीमत के कुल 58 नोट (मूल्य 29,000) को यह जानते हुए कि वे नोट कूटरचित या कूटकृत हैं, उन्हें असली बैंक नोट के रुप में प्रधान डाकघर अंबिकापुर में अन्य राशि के साथ जमा किया ?''**

(2) **''क्या अभियुक्त ने इसी दिनांक, समय व स्थान को पाँच–पाँच सौ रुपये कीमत के कुल 58 नोटों को यह जानते हुए कि वे कूटरचित या कूटकृत हैं, को अपने आधिपत्य में इस आशय से रखा कि उन नोटों को असली के रुप में उपयोग में लाया जा सके?''**

(3) **''यदि हाँ तो परिणाम?''**

8. लोक अभियोजक ने तर्क किये हैं कि इस प्रकरण में अभियोजन ने साक्षियों के अखंडित कथनों से यह सिद्ध किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त अंबिकापुर स्थित प्रधान डाकघर में संचालित अपने खाते में जो राशि जमा करने गया उसमें उसने असली नोटों के साथ–साथ 500–500 रुप[illegible] जानता था कि

Digitally signed by K L CHARYANI
K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:20:04 +0530

क्रमशः.......07

वे नकली नोट हैं, जमा करने का प्रयास किया, किंतु नोट गिनती मशीन ने नकली नोटों को अलग कर दिया जिसके चलते अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की गई। बचाव पक्ष ने विवेचना की खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, किंतु वे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि घटना पोस्ट ऑफिस में घटित हुई। पोस्ट ऑफिस वालों ने घटना क्रम का पूरी तरह समर्थन किया है। विवेचक की कार्यवाही में कुछ त्रुटियां रही हैं या उसने कोई लापरवाही की तो वह इस रुप में सामने नहीं आया है जिसके चलते अभियोजन के मामले पर संदेह किया जा सके। नकली नोटों के विधिवत पहचान व परीक्षण की कार्यवाही की गई है। नोटों को साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विधिवत विवेचक ने बताया है कि यही नोट जप्त किये गये हैं। ऐसे में अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया जाये।

9. बचाव पक्ष का तर्क है कि इस प्रकरण में पोस्ट ऑफिस में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के कथनों में तथा इस प्रकरण के विवेचक के कथन में गंभीर विरोधाभास है। पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला कि जमा करने हेतु लाये गये नोट नकली हैं उन्होंने 112 नम्बर डायल कर पुलिस को बुला लिया। उनका कहना है कि पोस्ट ऑफिस में नकली नोटों व असली नोटों को जप्त करने की कार्यवाही की गई, जबकि विवेचक ने 112 नम्बर पर डायल करने के उपरांत पुलिस पहुंची या नहीं इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। पोस्ट ऑफिस की घटना दोपहर की है। विवेचक कहता है कि थाने में सूचना शाम को प्राप्त हुई। विवेचक का कहना है कि अभियुक्त के बयान के मेमोरेण्डम के आधार पर नोट जप्त किये गये, जबकि पोस्ट ऑफिस वालों का कहना है कि उनके सामने पोस्ट ऑफिस में ही जप्ती हो गई थी।

वास्तव में अभियुक्त घटना दिनांक को पोस्ट ऑफिस गया ही नहीं था। यदि वह जाता तो 112 नम्बर डॉयल करने पर जब पुलिस वाले आये तो निश्चित रुप से वह उसे पकड़कर ले जाते । अभियुक्त को पोस्ट ऑफिस से अभिरक्षा में लिया गया, ऐसा विवेचक का कथन नहीं है। विवेचक तो कहता है कि [illegible] शाम को गिरफ़्तार

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:20:16 +0530

क्रमशः......08

किया गया, जबकि सारी कार्यवाही पोस्ट ऑफिस में हो चुकी थी, तो अभियुक्त को थाना क्या करने के लिए ले जाया गया । फिर जब पोस्ट ऑफिस में जप्ती की कार्यवाही हो चुकी थी तो अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन क्या करने के लिए लेखबद्ध किया गया। इन सब से स्पष्ट है कि अभियोजन का मामला मात्र शंका पर आधारित है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने की सूचना उसके पुत्र को दी गई ऐसा अभियोजन का कहना है, पर उसके पुत्र को गिरफ्तारी के आधार के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ऐसे में गिरफ्तारी भी विधिवत नहीं कही जा सकती। इस आधार पर उन्होंने अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का निवेदन किया है।

निष्कर्ष के आधार

अवधारणीय बिंदु क्रमांक–1 व 3

10. अभियोजन ने इस प्रकरण में **मनोज कुमार पाण्डेय (अ.सा.–1)** का कथन कराया है, जिसने बताया है कि वह घटना के समय प्रधान डाकघर, अंबिकापुर में नायब पोस्ट मास्टर के पद पर पदस्थ था और वह वर्तमान में अर्थात साक्ष्य तिथि में प्रधान पोस्ट मास्टर के पद पर प्रधान डाकघर, अंबिकापुर में ही पदस्थ है। इसी तरह **हृदय कुमार ठाकुर (अ.सा.–2)** का कथन कराया गया है, जिसने बताया है कि वह दिनांक 23/06/2020 से प्रधान डाकघर अंबिकापुर में डाक सहायक के पद पर पदस्थ है। इसी तरह श्रीमती **नीलमणी केरकेट्टा (अ.सा.–3)** ने बताया है कि वह दिनांक 13/06/2022 से प्रधान डाकघर अंबिकापुर में डाक सहायक के पद पर पदस्थ है। इन तीनों साक्षियों में से सर्वप्रथम अभियुक्त का सामना **श्रीमती नीलमणी केरकेट्टा (अ.सा.–3)** से हुआ जिसने बताया है कि वह अभियुक्त कपिल गिरी को जानती है, चूंकि उसका बचत खाता उनके डाक घर में है। घटना दिनांक को भी अभियुक्त डाक घर में पैसा जमा करने आया था, ऐसा इस साक्षी का कथन है।

श्रीमती नीलमणी केरकेट्टा ने आगे बताया है कि दिनांक 14/05/2024 को आरोपी [illegible] डाक घर में आया

K L CHARYANI

Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:20:25 +0530

और जब खाते में राशि जमा करने के लिए एक पर्ची उसने भरी और जमा करने के लिए एक लाख रुपये दिये तो रकम को उसने काउन्टिंग मशीन में डाला इस पर मशीन ने 500/– रुपये के 58 नोट को जाली बताते हुए उन्हे अलग कर दिया। उसने पुनः मशीन में डालकर चेक किया किंतु मशीन ने उन 58 नोटों को अलग कर दिया, इसकी जानकारी उसने सुपरवाईजर मनोज कुमार पाण्डेय को दी। तत्कालीन सुपरवाईजर/नायब पोस्ट मास्टर **मनोज कुमार पाण्डेय (अ.सा.–1)** ने बताया है कि श्रीमती नीलमणी केरकेट्टा के द्वारा सुपरवाईजर होने के नाते उसे बुलाकर बताया गया कि कपिल गिरी द्वारा जमा की गई राशि में से 500/–रुपये के 58 नोट अर्थात 29,000/–रुपये को काउन्टिंग मशीन ने जाली नोट बताते हुए अलग कर दिया है। उसने स्वयं भी नोटों को देखा। नोटों को छूने व देखने से प्रथम दृष्टया वे जाली लगे ऐसा साक्षी का कथन है। उसने इसकी पुष्टि करने के लिए ट्रेजरर में लगे नोट काउन्टिंग मशीन के द्वारा ट्रेजरर हृदय कुमार ठाकुर को पुनः काउन्ट करने के लिए नोट दिये, तब हृदय ठाकुर ने भी काउन्ट करने पर नोटों को जाली बताया।

11. इस संबंध में **हृदय कुमार ठाकुर (अ.सा.–2)** ने जो कथन किया है उसमें उसने इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक–14/05/2024 को कपिल गिरी, जिसका उनके पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है, जो राशि जमा करने आया था उनमें से 500–500 रुपये के 58 नोट अर्थात कुल 29,000/–रुपये जाली होना पाया गया था। तीनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को इस नाते पहचानने का कथन किया है क्योंकि उस पोस्ट ऑफिस में अभियुक्त का बचत खाता था, ऐसे में निश्चित रुप से वे अपने ग्राहकों को पहचानते होंगे। इससे पहचान के संबंध में व घटना दिनांक को पोस्ट ऑफिस में अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में इन साक्षियों के कथनों के बाद संदेह की गुंजाईश शेष नहीं रह जाती।

जहाँ तक अभियुक्त के बचत खाते के क्रमांक का प्रश्न है तो अभियोजन द्वारा इन तीनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उन्होंने बहुत आसानी से बता दिया कि अभियुक्त का खाता क्रमांक 1695093315 है जिसकी पु[illegible] अभियुक्त के

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:20:33 +0530

नाम के बचत खाते की डाक घर पास बुक की जप्तशुदा प्रति के अवलोकन से भी होती है। तत्कालीन सुपरवाईजर **मनोज कुमार पाण्डेय (अ.सा.–1)** ने आगे कथन किया है कि नोटों के जाली होने की पुष्टि होने पर उसने 112 नम्बर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर में **प्रदर्श पी.–1** के अनुसार लिखित शिकायत भी प्रस्तुत की और उसकी लिखित शिकायत के आधार पर **प्रदर्श पी.–2** के अनुसार एफ.आई.आर लेखबद्ध की गई। उसने यह भी बताया है कि उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा पुलिसवालों ने तैयार किया था जो **प्रदर्श पी.–3** है । इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर स्वीकार किया है कि 112 नम्बर लगाकर उसने पुलिसवालों को फोन किया था इसका उल्लेख **प्रदर्श पी.–1 व 2** की लिखित शिकायत व एफ.आई.आर में नहीं है, तो इसे साक्षी ने स्वीकार किया है। साक्षी ने पूछे जाने पर यह भी बताया है कि 112 नम्बर पर फोन उसने नहीं किया था, बल्कि हृदय कुमार ठाकुर ने किया था। श्रीमती नीलमणी केरकेट्टा ने भी अपने कथन की **कंडिका–4** में बताया है कि मनोज कुमार पाण्डेय सर के कहने पर हृदय कुमार ठाकुर ने थाने में फोन किया, फोन करने के करीब 15 मिनट बाद पुलिस वाले आ गये थे। पुलिसवालों के आने की पुष्टि मनोज कुमार पाण्डेय व हृदय कुमार ठाकुर के द्वारा भी की गई है।

12. यह सही है कि विवेचक/सहायक उपनिरीक्षक **अभिषेक कुमार दुबे (अ.सा.–4)** ने अपने कथन में 112 नम्बर पर कॉल होने व पुलिसवालों के पोस्टऑफिस में जाने अथवा न जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। पर यहाँ अभियोजन द्वारा किया गया यह तर्क महत्वपूर्ण है कि 112 एक इमरजेंसी नम्बर है जिस पर किसी घटना के घटित होने की सूचना देने पर पुलिस पेट्रोलिंग वाहन या अन्य पुलिस अधिकारी जो उस नम्बर से जुड़े है वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं, ऐसे में यदि विवेचक ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है तो वह अपनी जगह सही हो सकता है, किंतु बचाव पक्ष द्वारा विवेचक को अपने प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में क... दिया गया है, कि

K L CHARYANI

Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:20:55 +0530

विवेचक ने जानबूझकर इस संबंध में कथन नहीं किया है । ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विवेचक ने जानबूझकर 112 नम्बर पर कॉल होने व पुलिसवालों के पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के तथ्य को छिपाया है।

यह भी सही है कि विवेचक का कहना है कि थाने में लिखित शिकायत प्रस्तुत होने पर ही उसे घटना की जानकारी हुई । किंतु इस आधार पर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के कथन असत्य सिद्ध नहीं हो जायेंगे। मनोज **कुमार पाण्डेय (अ.सा.–1)** ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बारे में बिना किसी झिझक के कथन किया है कि कपिल गिरी घटना दिनांक को पोस्ट ऑफिस में आया था, जबकि उसे बचाव पक्ष ने सुझाव दिया है कि कपिल गिरी पोस्ट ऑफिस आया ही नहीं था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि कपिल गिरी ने पोस्ट ऑफिस में कोई राशि जमा नहीं की थी। **हृदय कुमार ठाकुर (अ.सा.–2)** ने भी प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बात से इंकार किया है कि कपिल गिरी से पोस्ट ऑफिस में कोई भी चीज की जप्ती नहीं हुई थी। इस साक्षी अर्थात हृदय कुमार ठाकुर ने व साक्षी **नीलमणी केरकेट्टा (अ.सा.–3)** ने बताया है कि पुलिसवालों ने उनके समक्ष अभियुक्त से 500–500 रुपये मूल्य के 58 नकली नोट व असली नोट भी जप्त किये थे। साथ ही पुलिसवालों ने अभियुक्त से उसकी पासबुक व जमा पर्ची भी जप्त की थी। जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.–4** पर इन दोनों ही साक्षियों ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी नीलमणी केरकेट्टा ने भी इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त उनके पोस्ट ऑफिस में आया ही नहीं था। उसने बताया है कि अभियुक्त पोस्ट ऑफिस में आया था तथा वह अभियुक्त को पहचानती भी है।

13. यहाँ इस तथ्य का उल्लेख उपयुक्त होगा कि **प्रदर्श पी.–4** की जप्ती के अनुसार अभियुक्त से कुल 1,02,000/–रुपये जप्त होना बताया गया है, जिसकी पुष्टि जप्ती के दोनों साक्षियों अर्थात हृदय कुमार ठाकुर व श्रीमती नीलमणी केरकेट्टा ने भी की है। इनमें 500–500 रुपये के मूल्य के कुल 58 ... 0/– रुपये मूल्य के

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:21:04 +0530

तो हैं ही, शेष नोट असली हैं । ऐसे में यदि बचाव पक्ष यह कहता है कि अभियुक्त से कोई जप्ती हुई ही नहीं है तो यह इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों ने नकली नोट के साथ असली नोट जो एक लाख मूल्य के थे को अपने पास से तो नहीं दिया है। आखिर इतनी बड़ी रकम को उन्होंने कहाँ से निकाला, जिन्हें पुलिसवालों ने उनके सामने जप्त किया था, क्योंकि यह सर्वविदित है कि पोस्ट ऑफिस में जो भी राशि रहती है वह या तो खाताधारकों की रहती है या शासन के द्वारा किसी रुप में जमा की गई होती है। इतनी अधिक मात्रा में जो नोट जप्त हुए हैं उनके बारे में विवेचना के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि उक्त नोट किसी अन्य खाताधारकों के थे या किसी अन्य माध्यम से पोस्ट ऑफिस के पास थे।

यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि नकली व असली नोट के साथ–साथ अभियुक्त के नाम की पोस्ट ऑफिस के बचत खाते की पासबुक भी जप्त हुई है तथा अभियुक्त की मोटरसायकल व मोबाईल फोन भी जप्त हुई है। दिनांक 14/05/2024 की जमा पर्ची भी जप्त हुई है, जिसमें खाते का क्रमांक वही है जो अभियुक्त के खाते का है। ऐसे में अभियुक्त के नाम के ये समस्त दस्तावेज व अन्य संपत्ति पोस्ट ऑफिस वालों के पास कहाँ से आ जायेगी? साक्षियों के कथनों से यह तथ्य अखंडित रुप से प्रमाणित है कि दिनांक 14/05/2024 को अभियुक्त अंबिकापुर स्थित पोस्ट ऑफिस के अपने खाते में राशि जमा करने के लिए उपस्थित था, ऐसे में इन तथ्यों के असत्य होने के संबंध में स्पष्टीकरण या खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व बचाव पक्ष का ही था, जिसमें बचाव पक्ष असफल रहा है, ऐसे में मात्र मौखिक तर्क के आधार पर अभियोजन साक्षियों के कथनों को व दस्तावेजों को अप्रमाणित या असत्य कहा जाना उचित नहीं होगा।

14. यह अवश्य है कि विवेचक ने **प्रदर्श पी.–5** के अनुसार मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करके उसके अनुसार राशि की जप्ती होना बताया है, जो विवेचक की अपरिपक्वता व त्रुटि को दर्शित करता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं नि ... के अधिकारियों

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:21:13 +0530

व कर्मचारियों के समक्ष की गई कार्यवाही व उनका कथन विश्वास के योग्य नहीं है। पोस्ट ऑफिस के तत्कालीन सुपरवाईजर **मनोज कुमार पाण्डेय (अ.सा.–1),** डाक सहायक **हृदय कुमार ठाकुर (अ.सा.–2),** डाक सहायक **श्रीमती नीलमणी केरकेट्टा (अ.सा.–3)** को बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण में उनके कथनों के संबंध में चुनौती दी है, किंतु साक्षियों ने बिना किसी झिझक के बताया है कि अभियुक्त घटना दिनांक को न केवल पोस्ट ऑफिस आया था, बल्कि उसने जमा पर्ची भरकर नगद राशि जमा करने का भी प्रयास किया था, वो तो काउन्टिंग मशीन ने 29,000/– रुपये मूल्य के 500–500 रुपये के 58 नोटों को जाली के रुप में पृथक कर दिया तब मामला उजागर हुआ। लिखित शिकायत में व जप्ती पत्रक में साक्षियों ने न केवल अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं बल्कि विवेचक द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. व तैयार किये गये जप्ती पत्रक का समर्थन भी साक्षियों ने किया है।

सहायक उपनिरीक्षक/विवेचक **अभिषेक कुमार दुबे (अ.सा.–4)** ने अपने कथन के दौरान बताया है कि दिनांक 14/05/2024 को प्रधान डाकघर, अंबिकापुर के नायब पोस्ट मास्टर मनोज कुमार पाण्डेय के द्वारा **प्रदर्श पी.–1** के अनुसार यह लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि अभियुक्त कपिल गिरी उनके पोस्ट ऑफिस में जाली नोट जमा कर रहा था। इस आधार पर उसने **प्रदर्श पी.–2** के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की है तथा विवेचना की शेष कार्यवाही सम्पन्न की है। **प्रदर्श पी.–4** के अनुसार उसने अभियुक्त से कुल 1,02,000/–रुपये जप्त किये हैं, जिसमें 500–500 रुपये मूल्य के 98 नग नोट तथा 200 रुपये मूल्य के 265 नग नोट जप्त किये हैं । अभियुक्त से 500–500 रुपये मूल्य के जो नकली नोट जप्त हुए हैं, उनमें से 13 नग नोट जिनका सीरियल नम्बर 2MA763866, 16 नग का सीरियल नम्बर 4BF515006, 12 नग नोट का सीरियल नम्बर 1QB060582 तथा 17 नग नोट का सीरियल नम्बर 1AA358945 इस तरह कुल 58 नग नोट विवेचक ने जप्त किये हैं ।

<u>**15.** विवेचक अभिषेक कुमार दुबे ने अभियुक्त के नाम की</u> पोस्ट ऑफिस की पास बुक, क्र–169509335

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:21:21 +0530

अंकित है को जप्त किया तथा दिनांक–14/05/2024 की एक नग जमा पर्ची जिसमें खाता क्र.–1695093315 अंकित है को **प्रदर्श पी.–4** के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्त किया। विवेचक के समक्ष न्यायालय के मालखाने से जप्तशुदा सम्पति को आहूत किया जाकर उभय पक्ष के समक्ष न्यायालय में पैकेट को खोलकर उसमें बताये अनुसार नकली नोट को विवेचक को दिखाया गया तो उसने उन्हीं 500/– रुपये मूल्य के 58 नकली नोट को जप्त होना बताया है, जो जप्ती पत्रक में अंकित है और वही नोट न्यायालय में जमा किये गये हैं, जिनके सीरियल नम्बर का भी मिलान किया गया है ।

विवेचक ने आगे कथन किया है कि उसने शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अंबिकापुर को अभियुक्त से बरामद किये गये 500–500 रुपये मूल्य के 58 नग नोट को भेजकर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु आवेदन लिखा था जो **प्रदर्श पी.–8** है। इस आवेदन पर से भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अंबिकापुर से **प्रदर्श पी.–9** के अनुसार नोटों का प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें सभी 58 नोट को डुप्लीकेट होना बताया गया। विवेचक अभिषेक कुमार दुबे का आगे कथन है कि उसने जप्तशुदा जाली नोटों का परीक्षण करने के संबंध में महाप्रबंधक बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (मध्यप्रदेश) को पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के माध्यम से **प्रदर्श पी.–10** के अनुसार आवेदन प्रेषित किया था, जिसमें निवेदन किया गया था कि भेजे जा रहे नोटों का परीक्षण कर प्रतिवेदन दें। बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्यप्रदेश) के द्वारा **प्रदर्श पी.–11** के अनुसार अपना प्रतिवेदन दिया गया है । इस प्रतिवेदन में परीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, उसके नाम की सील अंकित है तथा स्पेसिमेन सील भी अंकित है और इस परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विवेचक ने परीक्षण हेतु जो 58 नोट भेजे थे, वे सभी Low Quality Counterfeit Notes. होने का प्रतिवेदन दिया गया । इस आधार पर विवेचक व अभियोजन का कहना है कि इससे इन तथ्यों की पुष्टि हो गई कि जो 58 नोट अभियुक्त ने पोस्ट ऑफिस में जमा कराये वे सभी नकली नोट थे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत **प्रदर्श पी.–11** का यह प्रतिवेदन सरकारी वैज्ञानिक/विशेषज्ञ की रिपोर्ट होने के कारण दं.प्र.सं. की धारा–294 के तहत य [illegible] है ।

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:21:34 +0530

क्रमशः......15

प्रतिवेदन के संबंध में बचाव पक्ष को न केवल प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है बल्कि उसके परीक्षण के दौरान इस संबंध में उससे प्रश्न क्रमांक–93 से 99 पूछे गये हैं किंतु उसने इस संबंध में मात्र जानकारी नहीं होना कहा है इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया है जिससे उसे लाभ प्राप्त हो ।

16. विवेचक से बचाव पक्ष ने विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया है। विवेचक का कहना है कि लिखित शिकायत के बाद ही उसे घटना की जानकारी हुई और इसके बाद ही उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचक ने स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते तक आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में नहीं था, पर किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि पुलिसवालों को सूचना दिये जाते तक अभियुक्त पोस्ट ऑफिस से कहीं चला गया था या कि उसे पुलिसवालों ने बाद में पोस्ट ऑफिस से नहीं, बल्कि किसी और जगह से बुलाया या गिरफ्तार किया। विवेचक ने प्रतिपरीक्षण की **कंडिका 19** में पूछे जाने पर बताया है कि जब पोस्ट ऑफिस से कर्मचारी उसके पास थाने में लिखित शिकायत देने आये थे उस समय वे लोग आरोपी को साथ लेकर नहीं आये थे, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले अभियुक्त को अपने साथ पकड़कर थाने कैसे ले जाते यह काम तो अन्यथा भी पुलिसवालों का ही है। विवेचक ने इस बात से इंकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था। उसने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने अभियुक्त से कोई जप्ती नहीं की। उसने इस बात से भी इंकार किया है कि जप्तशुदा नोटों को उसने जाँच हेतु किसी भी एजेंसी को नहीं भेजा था।

विवेचक को यह सुझाव देने का प्रयास किया गया है कि उसने इस प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं रखे हैं, बल्कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ही स्वतंत्र साक्षी बनाया है । इस पर विवेचक ने उत्तर दिया कि पोस्ट ऑफिस वाले स्वतंत्र साक्षी ही हैं, अन्यथा भी न तो पोस्ट ऑफिसवालों की न ही पुलिसवालों का अभियुक्त से कोई विवाद या पूर्व की रंजिश प्रमाणित है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों ने जानबूझकर अभियुक्त के विरुद्ध कथन किया या कार्यवाही की। विवेचक को यह भी सुझाव दिया गया है कि जब 1,02,000/–रुपये की राशि में असली नोट भी थे तो उसने उ… …न किया, जब अपने

K L
CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:21:44 +0530

कथन की **कंडिका–26** में विवेचक ने उत्तर दिया है कि अभियुक्त ने समस्त राशि, जिसमें जाली नोट भी शामिल हैं को एक साथ पोस्ट ऑफिस में जमा करने का प्रयास किया था, इसलिए उसने समस्त नोट जप्त किये। विवेचक के इस स्पष्टीकरण को आधारहीन या विधि विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि मात्र नकली नोटों को जमा करने का प्रयास करे तो हो सकता है वह तुरंत पकड़ में आ जाये । व्यक्ति यह सोचता है कि असली नोटों के साथ मिलाकर नकली नोट जमा किया जाये तो शायद इसका पता नहीं चल पायेगा। यह अलग बात है कि आजकल जो आधुनिक नोट काउन्टिंग मशीन बनी हैं उनमें इस तरह की सुविधा उपलब्ध है कि प्रथम दृष्टया असली व नकली नोटों को पहचान कर उनमें से नकली नोट को पृथक कर देती है, हो सकता है कि इस तथ्य की जानकारी अभियुक्त को न रही हो।

17. साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ने साक्षियों के कथनों के आधार पर एवं दस्तावेजों के आधार पर इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि अभियुक्त अंबिकापुर स्थित प्रधान डाक घर में अपने बचत खाते में दिनांक 14/05/2024 को जो नगद राशि जमा करना चाहता था उसमें 500–500 मूल्य के 58 नोट कीमती 29,000/–रुपये निम्न गुणवत्ता के कूटरचित (नकली) नोट थे जिन्हें उसने अपने आधिपत्य में इस आशय से रखा था कि उनका उपयोग असली नोट के रुप में किया जाये । उक्त नोट उसने अपने आधिपत्य में असली के रुप में उपयोग में लाने हेतु रखा था यह निष्कर्ष भी निकाला जायेगा क्योंकि उसने असली नोटों के साथ मिलाकर नकली नोटों को पोस्ट ऑफिस में जमा करने का प्रयास किया था ।

ऐसा नहीं है कि अभियुक्त का आशय सद्भाविक था और उसकी कोई आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी । 29,000/–रुपये मूल्य के 500–500 रुपये के 58 नोट उसके पास थे । यदि नोटों की संख्या 1 या 2 रहती और उसका यह स्पष्टीकरण रहता कि अन्य नोटों के साथ ये 1 या 2 नोट उसे किसी अन्य से मिले या किसी लेनदेन में उसने उन्हें प्राप्त किया तब शायद स्थिति दूसरी हो सकती थी । किंतु 58 नोट जो उसके आधिपत्य में मिले इस संबंध में अभियुक्त ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है ऐसे में निश्चित रुप [illegible] कि वे नोट असली

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:21:53 +05'30'

नहीं है । इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **<u>रामसागर बंजारे विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, 2024 SCC OnLine Chh 7431</u>**, उल्लेखनीय है जिसमें यह कहा गया है कि बचाव पक्ष यह नहीं बता पाया हो कि प्रकरण में उन्हें क्यों झूठा फंसाया गया है न ही इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण दिया गया हो कि इतनी अधिक मात्रा में कूटरचित करेंसी नोट आधिपत्य में कैसे आये न ही पुलिसवालों की बचाव पक्ष से कोई रंजिश प्रमाणित है तब साक्षियों के कथनों में आयी हुई थोड़ी बहुत कमियाँ उनके कथनों पर व कार्यवाही पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

18. अभियोजन ने इस प्रकरण में विशेष के प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया है कि अभियुक्त के आधिपत्य से जो नोट जप्त हुए वे निम्न गुणवत्ता के कूटरचित नोट थे जिन्हें अभियुक्त ने अपने आधिपत्य में न केवल रखा, बल्कि उनका असली के रुप में उपयोग भी किया अतः अभियोजन **भा.दं.सं. की धारा–489 ख एवं 489 ग** के तहत अपने मामले को सिद्ध करने में सफल रहा है । तद्नुसार मैं अभियुक्त कपिल गिरी को इन दोनों धाराओं के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** करता हूं तथा दंड के बिन्दू पर उसे सुने जाने हेतु निर्णय को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं ।

स्थान–अम्बिकापुर,
दिनांक–25/06/2025

(के.एल.चरयाणी)
विशेष न्यायाधीश,
(राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम)
अम्बिकापुर सरगुजा(छ.ग.)

19. दंड के बिन्दु पर लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के अभिभाषक तथा स्वयं दोषसिद्ध को सुना गया ।

दोषसिद्ध ने निवेदन किया है कि यह उसका प्रथम अपराध है वह इन बातों को नहीं जानता था इसलिए उसे माफ कर दिया जाये ।दोषसिद्ध के अभिभाषक ने निवेदन किया है कि उसे सुधरने का एक अवसर मिलना चाहिए और इसलिए दंडादेश में उदारता बरती जाने का निवेदन किया गया है ।

लोक अभियोजक ने तर्क किये हैं कि वर्तमान में नकली नोट का कारोबार बहुत बढ़ ग ... ा में इस प्रकरण में

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:22:02 +0530

क्रमशः.......18

नोट बरामद हुए हैं उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि दोषसिद्ध को जानकारी नहीं थी । अतः उसे कठोर दंड से दंडित किया जाये ।

20. समग्र परिस्थितियों के प्रकाश में यह तो नहीं कहा जा सकता कि दोषसिद्ध कपिल गिरी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पास 500–500 रुपये मूल्य के जो 58 नोट हैं वे नकली हैं न ही उसने इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण ही दिया है । यह अवश्य है कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि या पूर्व की दोषसिध्दि के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ऐसे में मैं उसे **भा.दं.सं. की धारा–489 ख** के अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/–रुपये के अर्थदंड से तथा **भा.दं.सं. की धारा–489 ग** के अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/–रुपये के अर्थदंड से दंडित करता हूं । अर्थदंड की राशि अदा न होने पर उसे प्रत्येक धारा के अपराध के लिए व्यतिक्रम में 6–6 माह का कारावास भुगतना होगा जो मूल कारावास की अवधि की समाप्ति के उपरांत भुगताया जायेगा । मूल कारावास की सजायें एक साथ चलेंगी।

21. दोषसिद्ध इस प्रकरण में दिनांक 14/05/2024 से निर्णय की पूर्व तिथि 24/06/2025 तक कुल 406 दिन पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस अवधि को दिये गये दंडादेश में से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–428 के तहत समायोजित किया जाये, अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र पृथक से अंकित किया जा रहा है ।

22. दोषसिद्ध को सजा भुगताये जाने हेतु सजा वारंट तैयार कर अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, अंबिकापुर की ओर प्रेषित किया जाये ।

23. प्रकरण में जप्तशुदा असली नोट 200/– रुपये मूल्य के 265 नग जो कपिल गिरी से जप्त किये गये हैं, उसी से जप्त मोबाईल टेक्नो स्पार्क तथा मोटरसायकल क्रमांक–सी.जी./15 डी.जेड. 0622 अपील अवधि पश्चात अपील गिरी

K L CHARYANI

Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:22:18 +05'30'

(दोषसिद्ध) को वापिस लौटायी जाये । अपील होने पर संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

24. जप्तशुदा 500–500 मूल्य के कुल 58 नोट नकली नोट जिनका मूल्य 29,000/–रुपये है को अपील अवधि पश्चात विधिवत व्ययन हेतु संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से, सरल क्रमांक का मिलान करने के बाद, सीलबंद लिफाफे में भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जायें । अपील होने पर कूटरचित नोटों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

25. निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबिकापुर को प्रेषित की जाये ताकि अपील वगैरह के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हो सके। निर्णय की एक अन्य प्रति सजा वारंट के साथ संलग्न कर अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, अंबिकापुर को प्रेषित की जाये, एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदाय की जाये तथा एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक अभियोजक को प्रदाय की जाए ।

K L CHARYANI

Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:22:31 +0530

स्थान–अम्बिकापुर,
दिनांक–25/06/2025

रयाणी)
ाधीश,
करण अधिनियम)
गुजा (छ.ग.)

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, (एन.आई.ए.) (अम्बिकापुर), जिला– सरगुजा,(छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी–के.एल.चरयाणी)

विशेष आ.प्र. क्र. 27/2024
छ.ग. शासन बनाम कपिल गिरी

द.प्र.सं. की धारा–428 के तहत अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र

1 –	दोषसिद्ध का नाम–	कपिल गिरी पिता झंकर गिरी, उम्र लगभग–46 वर्ष, निवासी ग्राम–तुरीयाबीरा, थाना–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.)
2 –	पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का दिनांक–	**14/05/24**
3 –	न्यायालय में प्रस्तुति दिनांक	**15/05/24**
4–	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	**01 दिन**
5–	जमानत पर रिहाई का दिनांक	**निरंक**
6–	पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई कुल अवधि	**406 दिन**
उपरोक्त अवधि को दिये गये दंडादेश में से समायोजित किया जाये ।		

स्थान–अम्बिकापुर,
दिनांक–25/06/2025

K L CHARYANI
Digitally signed by K L CHARYANI
Date: 2025.06.25 14:22:44 +0530

गी)
श,
ा अधिनियम)
ा (छ.ग.)